प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 12 मार्च, 2025

विषयः- जिला कारागार, शाहजहांपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मोहनलाल पुत्र श्री लुकई, निवासी जनपद-शाहजहांपुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-1910/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-09.01.2025) दिनांक 15.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, शाहजहांपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मोहन लाल पुत्र श्री लुकई, ग्रा0-खड़वौरा, थाना-सेहरामऊदक्षिणी, जनपद-शाहजहांपुर का निवासी है। प्रथम घटना- डकैती के उद्देश्य से दिनांक 19.04.2004 की रात्रि को बन्दी ने अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी-डंडो से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा घर से सोने व चाँदी के आभूषण लूटकर अपने साथ ले गये। द्वितीय घटना- दो माह पूर्व बकरा गायब हो जाने के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 12.09.2007 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी रायफल व तमन्चों से गोली मारकर झुन्नो देवी नामक महिला की हत्या कर दी। तृतीय घटना- पूर्व मे झुन्नो देवी की हत्या के मुकदमें में समझौता करने की रंजिश हत्या को लेकर दिनांक 29.04.2008 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों साथ मिलकर खेत में रखें भूसे के ढेर में आग लगा दी तथा राजेन्द्र की अधजली लाश बरामद हुयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) सत्र परीक्षण संख्या-151/2005 में भा0द0वि0 की धारा-396 के अन्तर्गत मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-07, शाहजहाँपुर के आदेश दिनांक 16.02.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। (2) सत्र परीक्षण संख्या-944/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 148 के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-27, शाहजहाँपुर के आदेश दिनांक 30.05.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। (3) सत्र परीक्षण संख्या-856/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147, 201, 435 के अन्तर्गत मा० अपर सूत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-24, शाहजहाँपुर के आदेश दिनांक 04.03.2016 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

बन्दी द्वारा प्रथम केस जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी ने दिनांक 21.12.2024 तक अपरिहार 15 वर्ष, 07 माह, 22 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष, 01 माह, 25 दिन की सजा पूरी कर ली है। द्वितीय केस- जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी ने दिनांक 31.12.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 04 दिन तथा सपरिहार 14 वर्ष, 04 दिन की सजा पूरी कर ली है। तृतीय केस-जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी ने दिनांक 31.12.2024 तक अपरिहार 13 वर्ष, 04 माह, 09 दिन तथा संपरिहार 13 वर्ष, 04 माह, 09 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9-(2) के प्राविधान अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि० एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गयी। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाला, भविष्य मे अपराध करने की प्रबल सम्भावना होने, जेल में निरूद्ध रखने से वह अपराध करने से निवारित रहेगा एवं सामाजिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही है, का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रथम घटना- डकैती के उद्देश्य से दिनांक 19.04.2004 की रात्रि को बन्दी ने अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी-डंडो से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा घर से सोने व चाँदी के आभूषण लूटकर अपने साथ ले गये। द्वितीय घटना-दो माह पूर्व बकरा गायब हो जाने के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 12.09.2007 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी रायफल व तमन्चों से गोली मारकर झुन्नो देवी नामक महिला की हत्या कर दी। तृतीय घटना- पूर्व मे झुन्नो देवी की हत्या के मुकदमें में समझौता करने की रंजिश हत्या को लेकर दिनांक 29.04.2008 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों साथ मिलकर खेत में रखें भूसे के ढेर में आग लगा दी तथा राजेन्द्र की अधजली लाश बरामद हुयी। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से संबंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके, आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मोहनलाल पुत्र श्री लुकई को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, शाहजहांपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मोहनलाल (बंदी संख्या-1417/2011) पुत्र श्री लुकई, निवासी जनपद-शाहजहांपुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-257/2025/222(1)/22-2-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, शाहजहांपुर।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-257/2025/222/22-2-2025-17(184)/2025

दिनांक 12 मार्च, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, शाहजहांपुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मोहनलाल पुत्र श्री लुकई, ग्रा0-खड़वौरा, थाना-सेहरामऊदक्षिणी, जनपद-शाहजहांपुर का निवासी है। प्रथम घटना- डकैती के उद्देश्य से दिनांक 19.04.2004 की रात्रि को बन्दी ने अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी-डंडो से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा घर से सोने व चाँदी के आभूषण लूटकर अपने साथ ले गये। द्वितीय घटना- दो माह पूर्व बकरा गायब हो जाने के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 12.09.2007 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी रायफल व तमन्चों से गोली मारकर झुन्नो देवी नामक महिला की हत्या कर दी। तृतीय घटना- पूर्व मे झुन्नो देवी की हत्या के मुकदमें में समझौता करने की रंजिश हत्या को लेकर दिनांक 29.04.2008 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों साथ मिलकर खेत में रखें भूसे के ढेर में आग लगा दी तथा राजेन्द्र की अधजली लाश बरामद हुयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को (1) सत्र परीक्षण संख्या-151/2005 में भा0द0वि0 की धारा-396 के अन्तर्गत मा० अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-07, शाहजहाँपुर के आदेश दिनांक 16.02.2012 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। (2) सत्र परीक्षण संख्या-944/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 307/149, 148 के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-27, शाहजहाँपुर के आदेश दिनांक 30.05.2011 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी की अपील मा० उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। (3) सत्र परीक्षण संख्या-856/2008 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 147, 201, 435 के अन्तर्गत मा० अपर सूत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-24, शाहजहाँपुर के आदेश दिनांक 04.03.2016 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

बन्दी द्वारा प्रथम केस जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी ने दिनांक 21.12.2024 तक अपरिहार 15 वर्ष, 07 माह, 22 दिन तथा सपरिहार 19 वर्ष, 01 माह, 25 दिन की सजा पूरी कर ली है। द्वितीय केस- जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी ने दिनांक 31.12.2024 तक अपरिहार 14 वर्ष, 04 दिन तथा सपरिहार 14 वर्ष, 04 दिन की सजा पूरी कर ली है। तृतीय केस-जेल रिपोर्ट के अनुसार बंदी ने दिनांक 31.12.2024 तक अपरिहार 13 वर्ष, 04 माह, 09 दिन तथा संपरिहार 13 वर्ष, 04 माह, 09 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, शाहजहाँपुर द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9-(2) के प्राविधान अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 कि० एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गयी। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने वाला, भविष्य मे अपराध करने की प्रबल सम्भावना होने, जेल में निरूद्ध रखने से वह अपराध करने से निवारित रहेगा एवं सामाजिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नही है, का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रथम घटना- डकैती के उद्देश्य से दिनांक 19.04.2004 की रात्रि को बन्दी ने अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी-डंडो से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा घर से सोने व चाँदी के आभूषण लूटकर अपने साथ ले गये। द्वितीय घटना-दो माह पूर्व बकरा गायब हो जाने के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 12.09.2007 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर देशी रायफल व तमन्चों से गोली मारकर झुन्नो देवी नामक महिला की हत्या कर दी। तृतीय घटना- पूर्व मे झुन्नो देवी की हत्या के मुकदमें में समझौता करने की रंजिश हत्या को लेकर दिनांक 29.04.2008 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों साथ मिलकर खेत में रखें भूसे के ढेर में आग लगा दी तथा राजेन्द्र की अधजली लाश बरामद हुयी। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से संबंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके, आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मोहनलाल पुत्र श्री लुकई को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in